

तारीख हुकम	<p style="text-align: center;"> <del>मोहन प्रेम मल्लिक</del>            हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज            31/2018         </p>
$12 \frac{11}{18}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिचय  <del>उप/अनुपस्थित पीठाधीन अधिकारी से</del>  <del>अन्य कार्य में पत्रावली अग्रिम</del>            कार्यवाही हेतु दिनांक <u>23/01/19</u>            को पेश हो। (3)</p>
$23 \frac{01}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिचय  <del>उप/अनुपस्थित पीठाधीन अधिकारी से</del>  <del>अन्य कार्य में पत्रावली अग्रिम</del>            कार्यवाही हेतु दिनांक <u>20/03/19</u>            को पेश हो। (3)</p>
$20 \frac{03}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिचय  <del>उप/अनुपस्थित पीठाधीन अधिकारी से</del>  <del>अन्य कार्य में पत्रावली अग्रिम</del>            कार्यवाही हेतु दिनांक <u>26/04/19</u>            को पेश हो। (3)</p>
$26 \frac{04}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय परिचय  <del>उप/अनुपस्थित पीठाधीन अधिकारी से</del>  <del>अन्य कार्य में पत्रावली अग्रिम</del>            कार्यवाही हेतु दिनांक <u>14/5/19</u>            को पेश हो। (3)</p>
$14 \frac{05}{19}$	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राचीनगण उप            अग्रणी की तामील पूर्व में सम्पन्न रूप से            होकर लौटी हैं। वाक्य रूप सम्पन्न तामील अग्रणी            की ओर से कोई हाजिर अफातर नहीं आया            है अतः अग्रणी के विकल्प एडवोकेट            कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण            में बहस वकील प्राचीनगण एडवोकेट            सुनी गई। दौराने बहस वकील प्राचीनगण            ने अपने प्राचीन-पत्र में अंकित लखेर के            दोहराने हुए मुद्राबिन्दु सीमाबान प्रकरण            में परस्परगद्दी किये जाने के आवेदन            प्रदान करने का निवेदन किया।            पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध            राजस्व रेकर्ड का अपलोडन किया गया</p>



क्रम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए

एवं बहस वकील प्राथीगण पर सगौर मनन  
क्रिया बाधा, जिनसे प्राथीगण का प्रार्थना-पत्र  
स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर  
स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया  
जाता है कि :-

निर्णय

तन ग्राम फतेहपुरा भोगियाण परिवार  
हलका गोकुलकाबास तहसील जखेला जिला  
सीकर (राज) अवस्थित कृषि भूमि प्लॉट नं०  
२।५ रकबा ५.२४ है की तहसीलदार,  
जखेला मुताबिक रसीदनाम दिनांकित  
२१-०६-२०१४ की पत्थरगढ़ी, निधमानुसार  
पत्थरगढ़ी हेतु राजकोष में जमा योग्य शारी  
जमा की जाकर, करवाया जाना सुनिश्चित करें।  
उक्तानुसार पत्थरगढ़ी करवाने हेतु तहसीलदार  
जखेला के तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली  
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा  
बाद तहसील काजिल पफतर हो। निर्णय जूले  
न्यायालय में सुनाया गया।

14/05/2019

अधिकारी  
जखेला (सीकर)

